बिहार राज्य और अन्य

बनाम

मॉडर्न टेंट हाउस और अन्य।

(सिविल अपील संख्या 3845/2008)

16 अगस्त 2017

[आर.के. अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश 6 नियम 17 - अभिवचनों में संशोधन ~ अपीलकर्ताओं-उत्तरदाताओं द्वारा आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत धन-वादके लिखित कथन में संशोधन के लिए आवेदन - निम्न न्यायालय द्वारा अस्वीकृति - का औचित्य - प्रतिपादित किया गया: प्रस्तावित संशोधन में मूल रूप से लिखित कथन में बताए गए तथ्यों को विस्तृत करने की मांग की गई है; यह पहले से ही ली गई रक्षा के प्रवर्धन की प्रकृति में है; यदि संशोधन की अनुमति दी जाती है तो उत्तरदाताओं-वादी-उत्तरदाताओं पर कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा, क्योंकि मामले को सिध्द करने का प्रारंभिक भार वादी पर ही रहता है; और चूँकि विचारण अभी तक पूरा नहीं हुआ है, यह न्याय के हित में है कि उत्तरदाताओं को अपीलीय चरण में ऐसी अभिवचने उठाने की अनुमति देने के बजाय निम्न न्यायालय द्वारा प्रस्तावित संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए थी - इस प्रकार, आवेदन प्रस्तुत किया गया आदेश 6 नियम ।7 के अंतर्गत उत्तरदाताओं को अनुमति है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3845/2008 की

2005 के सीआर संख्या 1249 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 17.04.2006 से।

अपीलकर्ताओं के लिए श्रेयस जैन, गोपाल सिंह, अधिवक्तागण ।

उत्तरदाताओं के लिए नागेंद्र राय, वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रज किशोर मिश्रा, सुश्री अपर्णा झा, अरूप बनर्जी, अधिवक्तागण ।

न्यायालय का निर्णय, अभय मनोहर सप्रे, जे. द्वारा उदघोषित किया गया।

1. यह अपील उत्तरदाताओं द्वारा 2005 के सीआर संख्या 1249 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 17.04.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सिविल पुनरीक्षण का निपटारा कर दिया, जिससे उन्हें स्वतंत्रता मिली कि यदि विचारण न्यायालय का फैसला उनके विरुद्ध जाता है तो अपील में ऐसे सवाल उठाएं।

2. इस अपील के निस्तारण के लिए आवश्यक सीमा को छोड़कर मामले के तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

3. उत्तरदाताओं (वादी) ने 41,59,418/- रुपये की वसूली के लिए अपीलकर्ताओं (उत्तरदाताओं) के विरुद्ध उप-न्यायाधीश -1 छाबड़ा की न्यायालय में धन-वाद(वाद संख्या 28 का 2002) प्रस्तुत किया है। अपीलकर्ताओं ने अपना लिखित कथन दाखिल किया और तथ्यों पर मुद्दों को जोड़कर उत्तरदाताओं के दावे को अस्वीकार कर दिया, तदनुसार अभिवचनो के आधार पर विवादक विचारित किए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरदाताओं (वादी) का साक्ष्य समाप्त हो गया है और अपीलकर्ताओं (प्रतिवादी) का साक्ष्य शेष है।

4. अपीलकर्ताओं ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया और अपने लिखित कथन में दो पैराग्राफ जोड़कर संशोधन की मांग की। उत्तरदाताओं (वादी) ने आवेदन का विरोध किया।

5. विचारण न्यायालय ने आवेदन को खारिज कर दिया और अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं द्वारा इस अपील को दाखिल करने के लिए बर्खास्तगी को बरकरार रखा।

6. इस अपील में शामिल संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या निम्न दो न्यायालयों द्वारा संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत अपीलकर्ताओं (उत्तरदाताओं) के लिखित कथन में मांगे गए संशोधन के आवेदन को खारिज करना उचित था?

7. यह विवाद में नहीं है कि उत्तरदाताओं द्वारा अपीलकर्ताओं के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया विचारण, जिसमें से यह अपील उत्पन्न हुई है, अभी भी लंबित है। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि पक्षकारों का साक्ष्य अभी ख़त्म नहीं हुई है, दूसरे शब्दों में कहें तो वाद का विचारण चल रहा है।

8. हमने अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत संशोधन आवेदन का अवलोकन किया है। हमने पाया कि सबसे पहले, प्रस्तावित संशोधन तथ्यों पर है और अपीलकर्ता मूल रूप से लिखित कथन में बताए गए तथ्यों को विस्तार से बताना चाहते हैं; दूसरे और आन्य शब्दों में, यह पहले से ही ली गई रक्षा के प्रवर्धन की प्रकृति में है; तीसरा, लिखित कथन में मूल रूप से जो अभिवचन किया गया, उसकी तुलना में यह कोई नया बचाव पेश नहीं करता है; चौथा, यदि अनुमति दी जाती है, तो इसका परिणाम न तो पहले से लिए गए बचाव में बदलाव होगा और न ही लिखित कथन में किए गए किसी भी प्रकार की स्वीकृति को वापस लेने का परिणाम होगा, पांचवें, यदि इस तरह के संशोधन की अनुमति दी जाती है, तो वादी के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं है क्योंकि इसके बावजूद बचाव या/और प्रस्तावित संशोधन, मामले को सिध्द करने का प्रारंभिक भार वादी पर बना हुआ है; और अंत में, चूंकि विचारण अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यह न्याय के हित में है कि उत्तरदाताओं के प्रस्तावित संशोधन को निचली न्यायालयों द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए थी न कि उत्तरदाताओं को अपीलीय चरण में ऐसी याचिका उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए, यदि अवसर हो तो उठता है.

9. पूर्वगामी विवेचना के मद्देनजर, अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है। संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन (एमए संख्या 28 का 2002) दिनांक 07.04.2005 (अनुलग्नक पी -4) की अनुमति है। अपीलकर्ताओं

(उत्तरदाताओं) को अपने लिखित कथन में संशोधन करने और अपने आवेदन में प्रार्थना के अनुसार संशोधन शामिल करने की अनुमति है।

10. उत्तरदाताओं (वादी) को भी अपने वादपत्र में संशोधन करने और यदि वे चाहें तो उत्तरदाताओं को अपने साक्ष्य पेश करने के लिए बुलाए जाने से पहले कोई और साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाता है ।

11. चूंकि वाद काफी पुराना है, इसलिए हम विचारण न्यायालय को निर्देश देते हैं कि वह पक्षकारों की उपस्थिति की तारीख से 6 महीने के भीतर विधि के अनुसार इसका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करे। पक्षकारों को 04.09.2017 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा।

निधि जैन अपील स्वीकृति ।

Name of Judicial Officer - RAM MURTI YADAV, ADDITIONAL DISTRICT JUDGE, AZAMGARH (RETIRED)